



प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 24.09.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनायी गयी 05 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा व दिया गया 50,000/- रु0 अर्थदण्ड ।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना बकेवर व मानीट्रिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 05 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व 50,000 रु0/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 08.08.2023 को थाना बकेवर पर अभियुक्त के कब्जे से अवैध गांजा बरामदगी के संबंध मु0अ0सं0 307/23 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था ।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना बकेवर पुलिस टीम, पैरोकार का0 राहुल कुमार एवं मानीट्रिंग सैल व एडीजीसी श्री योगेन्द्र परिहार द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरूप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को आज दिनांक 24.09.2024 को अन्तर्गत धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट में मा0 न्यायालय एडीजे-07/ एनडीपीएस कोर्ट, इटावा द्वारा 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 50,000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. समीर उर्फ नागेन्द्र पुत्र साहब सिंह निवासी नगला टुपियन थाना बकेवर जनपद इटावा ।